[12/2/2024]

आतारांकित प्रश्न - 1038

प्रश्न सं. [क्र. 1038]

18

परिशिष्ट 'अ'

परिशिष्ट सूची

parishisht -1

परिशिष्ट - 1

विशेष ग्राम सभा में रखे जाने वाले विषय

1. ग्राम पंचायत का हित

- संपति रजिस्टर तैयार होने से ग्राम पंचायत की स्थायी आय की व्यवस्था होगी।
- ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्राधिकार में संपति धारण करने वालों की जानकारी से समग्र आई.डी. डाटा से अद्यतन रहने पर ग्राम विकास की योजना बनाने में सुविधा होगी।
- ग्राम पंचायत की संपति, शासकीय व सार्वजनिक संपति की सीमा एवं क्षेत्रफल निश्चित होने से उनका रखरखाव किया जा सकेगा और उनसे संबंधित सीमा विवाद में कमी आवेगी।
- प्रत्येक संपति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से ग्राम में निजी सम्पति के विवाद कम होंगे।

2. ग्राम वासियों के हित

- प्रत्येक संपति धारक को संपति का प्रमाण-पत्र एवं भूमिस्वामित्व प्राप्त होगा।
- यंत्रों (ड्रोन) के माध्यम से कार्य होने के कारण अभिलेख का निर्माण शीध्रता से एवं शुद्धता के साथ होगा।
- सार्वजनिक उपयोग की संपति का संरक्षण होगा।
- रास्ते, ग्राम पंचायत की खुली जगह, नाले, सरोवर इनकी सीमाएं निश्चित होंगे जिससे उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।
- संपति का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से मकान पर बैंक से कर्जा लेना आसान होगा।
- आबादी क्षेत्र का भूमापन पूर्णतः पारदर्शी होगा और हर एक संपति धारक को उनका अधिकार अभिलेख प्राप्त होगा।

3. ड्रोन सर्वे कार्य के समय ग्राम वासियों के कर्तव्य

- ग्राम सभा में अधिक से अधिक सख्या में उपस्थित होकर आबादी क्षेत्र के भू-मापन की प्रक्रिया एवं उससे होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त करें।
- ग्राम पंचायत को अपनी संपति की जानकारी देना चाहिए।

- ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारी को अपनी सम्पत्ति, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नम्बर, समग्र आदि जानकारी देना चाहिए जिससे अधिकार अभिलेख में सही जानकारी आ सके।
- गांव में अपने पडोसी मित्र और रिश्तेदारों को ड्रोन सर्वे के बारे में जानकारी देना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जिनकी गांव में संपत्ति है और वे गांव से बाहर रहते है उनको इस सर्वे के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनके मोबाइल नंबर पटवारी अथवा पंचायत सचिव को उपलब्ध कराना चाहिए।
- ड्रोन से सर्वे के दौरान संपत्ति धारकों द्वारा अपनी-अपनी सम्पत्ति को चूना डालकर सीमा बनाने से वे भविष्य में होने वाले विवादों को रोक सकेगे।
- यह कार्य नये सिरे से होने के कारण सम्पत्ति धारक मौके पर आपसी सहमति से चूना लाइन डालकर अपने विवादों को पूर्णरूप से हल कर सकेगे।
- किसी सम्पत्ति के विषय में यदि कोई विवाद किसी न्यायालय में चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी देना चाहिए।

5-2-2024
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग